महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 25.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 25.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 25.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 25.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम मे पाक्सो एक्ट के वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 25.02.2026 को श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में तथा श्रीमती वंदना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा एवं श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभावी कार्यवाही की गई।

प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित टीम के उ0नि0 तबरेज आलम मय हमराह का0 राघवेन्द्र कुमार द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामबाबू निवासी उमरी थाना विवांर जनपद हमीरपुर को मु0अ0सं0 04/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे परथनिया तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष समय से भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री तबरेज आलम
2. का0 राघवेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

जयहिन्द पुत्र रामबाबू निवासी उमरी थाना विवांर जनपद हमीरपुर।

SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग की संरचना एवं पदाधिकारियों के दायित्वों पर जागरूकता सत्र आयोजित

आज दिनांक 25.02.2026 को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत छात्र-छात्राओं हेतु एक शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उ0नि0 दिनेश तिवारी द्वारा पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों एवं पदों की संरचना तथा उनके कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सत्र के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि पुलिस विभाग विभिन्न इकाइयों में विभाजित होकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की रोकथाम एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

उन्हें कांस्टेबल, उपनिरीक्षक (Sub-Inspector), निरीक्षक (Inspector), क्षेत्राधिकारी (CO) आदि पदों की भूमिका, जिम्मेदारियाँ एवं कार्यप्रणाली के संबंध में क्रमवार जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि–

- कांस्टेबल कानून-व्यवस्था ड्यूटी, गश्त, सुरक्षा व्यवस्था एवं प्राथमिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- उपनिरीक्षक (SI) विवेचना, अपराध पंजीकरण एवं टीम नेतृत्व का दायित्व निभाते हैं।
- निरीक्षक (Inspector) थाना प्रभारी के रूप में प्रशासनिक एवं विवेचनात्मक कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- क्षेत्राधिकारी (CO) अपने सर्किल के अंतर्गत थानों की निगरानी एवं कानून-व्यवस्था की समग्र समीक्षा करते हैं।

सत्र संवादात्मक शैली में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और उन्हें सरल भाषा में उत्तर देकर पुलिस व्यवस्था की स्पष्ट समझ विकसित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को पुलिस विभाग की संरचना से परिचित कराना, करियर के रूप में पुलिस सेवा के प्रति प्रेरित करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करना रहा। जनपद महोबा पुलिस द्वारा SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 25.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह कां0 श्रीकान्त के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 27/2026 धारा 108/352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देशू पुत्र कुट्टी कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा

2. कां0 श्रीकान्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

देवेन्द्र उर्फ देशू पुत्र कुट्टी कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 25.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई, 425 लीटर कच्ची शराब बरामद व 7000 लीटर लहन नष्ट...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में आबकारी विभाग एवं थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रभावी एवं निर्णायक कार्यवाही की गई।

अभियान के तहत कबूतरा डेरा मुढारी क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा सघन छापेमारी करते हुए लगभग 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर विधिवत सीज की गई तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

इसके अतिरिक्त गोरा तालाब कबूतरा डेरा, बेलाताल (कुलपहाड़) क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर दबिश दी गई। मौके पर लगभग 7000 लीटर अवैध कच्ची लहन को नष्ट कराया गया। साथ ही 350 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूरी कार्यवाही विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सम्पन्न कराई गई। इस संयुक्त अभियान से अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया है।

इस संयुक्त अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह, प्रभारी चौकी बेलाताल श्री सुजीत जायसवाल सहित थाना कुलपहाड़ पुलिस बल एवं आबकारी विभाग की टीम पर्याप्त संख्या में उपस्थित रही। संपूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई।

महोबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 25.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

"पुलिस टीम पर फायरिंग" करने वाले आरोपी अभियुक्त को 09 वर्ष सश्रम कारावास व 01 हजार रु. जुर्माने की हुई सजा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 25.02.2026 को मा0 न्यायालय ए.डी.जे./एफ.टी.सी. कोर्ट, महोबा द्वारा "पुलिस टीम पर फायरिंग" के अभियोग में नामित अभियुक्त को 09 वर्ष सश्रम कारावास व 01 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

- थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 188/08 धारा 147/148/149/307 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त कल्लू यादव पुत्र रामचरन निवासी बरबसपुर थाना लौड़ी जनपद छतरपुर म.प्र. को दण्डित किया गया है।

सुरेन्द्र सिंह राजपूत
शासकीय अधिवक्ता

कां. ज्ञानेन्द्र सिंह
पैरोकार थाना श्रीनगर

@MahobaPolice